परिवाद सं0 26 सन् 2023
श्रीमती अमरवती बनाम....चन्द्रकेश भारद्वाज आदि

दिनांक 23.07.2024 परिवाद पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। परिवादनी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है।

परिवादनी श्रीमती अमरवती ने परिवादपत्र में कथन किया है कि '' प्रार्थनी घरेलू महिला है और पेशे से मजदूर है। उसके गांव के चन्द्रकेस भारद्वाज चालाक किस्म का व्यक्ति है जिसने प्रार्थनी को बहला–फुसलाकर उसके पति ओमवीर के नाम एक प्लाट स्थित मेडिकल, गढ रोड ,मेरठ दलाल की हैसियत से विक्रय करा दिया था और दूसरी जगह मंशा देवी रोड, औरंगशाहपुर डिग्गी, गढ रोड मेरठ दिखाया और विपक्षी सं02 से मुलाकात करायी। प्रार्थनी को लालच देकर विपक्षी सं0 2 से लेन–देन की बात करायी। प्रार्थनी के विक्रीत प्लाट की धनराशि उसके बैंक खाते में आयी थी। विपक्षी सं0 1 ने एक प्लाट 70 वर्गगज खसरा संख्या 532/2/3 के संबंध में बतौर बयाना अंकन 50,000/–रूपये प्रार्थनी से विपक्षी सं0 2 को दिलवाये थे और इसके बाद शेष रकम विपक्षी सं0 1 के खाते से निकलवाकर कुछ धनराशि अपने पास रखता था और कुछ विपक्षी सं0 2 को देता था। इस प्रकार विपक्षी सं0 1 ने पांच लाख रूपये निकलवा लिये , जिसमें से डेढ लाख रूपये विपक्षी सं0 1 ने अपने पास रखे तथा तीन लाख पचास हजार रूपये विपक्षी सं0 2 को दे दिये तथा विपक्षीगण ने दिंनाक 30.01.2021 को एक फर्जी कूटरचना कर सादे स्टाम्प पर प्रार्थनी को उक्त प्लाट का बैनामा बताकर धोखे से धन हडप लिया। जब प्रार्थनी को पता चला कि कोई बैनामा नहीं किया है तो उसने अपने रूपये विपक्षीगण से मांगे तो वे बहाना बनाने लगे तथा पैसे देने की बात पर जंगल में ले गये और दोनों ने उसे डरा धमकाकर उसकी मर्जी के विरूद्ध कई बार बलात्कार किया तथा धमकी दी कि यदि किसी को कुछ बताया तो तुझे व तेरे लडके को मरवा देंगें। सख्त तकाजा किया तो उसे जातिसूचक शब्द चमारी चमटटी कहकर गाली गलोच कर अपमानित किया। इस संबंध में थाने पर सूचना दी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ व अन्य अधिकारियो को प्रार्थना पत्र दिये, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रार्थनी ने स्वंय का शपथ पत्र, आधार कार्ड की छाया प्रति, जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति, व बैंक स्टेटमैन्ट, विक्रय पत्र की छाया प्रति, आदि प्रपत्र दाखिल किये हैं।

सुना एंव पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादी ने धारा 200 दं0प्र0सं0 में स्वंय का बयान अंकित कराया , जिसमें उसने कथन किया है कि उसके गांव के चन्द्रकेस भारद्वाज ने प्रार्थनी को बहला–फुसलाकर उसके पति ओमवीर के नाम एक प्लाट स्थित मेडिकल, गढ रोड ,मेरठ दलाल की हैसियत से विक्रय करा दिया था और दूसरी जगह मंशा देवी रोड, औरंगशाहपुर डिग्गी, गढ रोड मेरठ दिखाया और विपक्षी सं02 से मुलाकात करायी। प्रार्थनी को लालच देकर विपक्षी सं0 2 से लेन–देन की बात करायी। प्रार्थनी के विक्रीत प्लाट की धनराशि उसके बैंक खाते में आयी थी। विपक्षी सं0 1 ने एक प्लाट 70 वर्गगज खसरा संख्या 532/2/3 के संबंध में बतौर बयाना अंकन 50,000/–रूपये प्रार्थनी से विपक्षी सं0 2 को दिलवाये थे और इसके बाद शेष रकम विपक्षी सं0 1 के खाते से निकलवाकर कुछ धनराशि अपने पास रखता था और कुछ विपक्षी सं0 2 को देता था। इस प्रकार विपक्षी सं0 1 ने पांच लाख रूपये निकलवा लिये , जिसमें से डेढ लाख रूपये विपक्षी सं0 1 ने अपने पास रखे तथा तीन लाख पचास हजार रूपये विपक्षी सं0 2 को दे दिये तथा विपक्षीगण ने दिंनाक 30.01.2021 को एक फर्जी कूटरचना कर सादे स्टाम्प पर प्रार्थनी को उक्त प्लाट का बैनामा बताकर धोखे से धन हडप लिया। जब प्रार्थनी को पता चला कि कोई बैनामा नहीं किया है तो उसने अपने रूपये विपक्षीगण से मांगे तो वे बहाना बनाने लगे तथा पैसे देने की बात पर जंगल में ले गये और दोनों ने उसे डरा धमकाकर उसकी मर्जी के विरूद्ध कई बार बलात्कार किया तथा धमकी दी कि यदि किसी को कुछ बताया तो तुझे व तेरे लडके को मरवा देंगें। सख्त तकाजा किया तो उसे जातिसूचक शब्द चमारी चमटटी कहकर गाली गलोच कर अपमानित किया। धारा 202 दं0प्र0सं0 में ब्रहमपाल एंव सैयद मौहम्मद रजा जैदी को परीक्षित कराया है। साक्षी सैयद मौहम्मद रजा जैदी ने अपने बयान में कथन किया है कि चन्द्रकेश पुत्र नैन सिंह निवासी खिर्वा जलालपुर व बिजेन्द्र पुत्र ब्रहम सिंह निवासी सराय काजी थाना मेडिकल ने अमरावती से 5,00,000/–रूपये प्लाट दिलाने के ले रखे हैं। दिंनाक 10.7.2022 को मैं मस्जिद बनी दुकान पर बैठा था। मेरे सामने लगभग 10 बजे चन्द्रकेश व बिजेन्द्र दोनों अमरावती को कार में बैठाकर अपने साथ कंकरखेडा की तरफ को ले गये थे। उसी दिन दोपहर बाद अमरावती के घर पर काफी लोग इकटठा थे। जानकारी करने पर पता चला कि उपरोक्त दोनों चन्द्रकेश व बिजेन्द्र अमरावती को

जंगल में ले गये व उसके साथ बलात्कार किया और गांव में बताने पर अमरावती के लडके को जान से मारने की धमकी दी। साक्षी ब्रहमपाल ने कथन किया है कि दिनांक 10.07.2022 को अमित की खाद की दुकान पर खाद लेने आया था। उसके सामने ही चन्द्रकेश पुत्र नैन सिंह, निवासी खिर्वा जलालपुर व बिजेन्द्र पुत्र बुद्ध सिंह निवासी सराय काजी अमरावती को अपने साथ गाडी में बैठाकर कंकरखेडा की तरफ ले गये। उसी दिन शाम को अमरावती के घर पर काफी भीड इकटठा थी। जानकारी करने पर पता चला कि उपरोक्त दोनों चन्द्रकेश व बिजेन्द्र रूपये देने के बहाने अमरावती को जंगल में ले गये व उसके साथ बलात्कार किया और गांव में बताने पर अमरावती के लडके को जान से मारने की धमकी दी। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध परिवाद में उल्लिखित तथ्य व धारा 200 एंव 202 दं0प्र0सं0 के अर्न्तगत प्रस्तुत किये कथनों से अभियुक्तगण चन्द्रकेश भारद्वाज एंव बिजेन्द्र के विरूद्ध धारा 406, 420, 467, 468, 471, 120बी0, 506 भा0दं0सं0 एंव धारा 3(2)5 एस. सी./एस.टी. एक्ट के तहत प्रथम दृष्टया प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होता है।

जहां तक धारा 376 भा0दं0सं0 का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में पत्रावली पर कोई चिकित्सीय परीक्षण आख्या एंव अन्य प्रपत्र उपलब्ध नहीं हैं। अतः अभियुक्तगण को धारा 376 भा0दं0सं0 के अपराध के विचारण हेतु तलब किये जाने का कोई मामला प्रथम दृष्टया बनना प्रतीत नहीं होता है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्ता चन्द्रकेश भारद्वाज एंव बिजेन्द्र को धारा 406, 420, 467, 468, 471, 120बी0, 506 भा0दं0सं0 एंव धारा 3(2)5 एस.सी./एस.टी. एक्ट के अपराध के विचारण हेतू दिनांक 16.08.2024 के लिये तलब किया जाए। परिवादनी आवश्यक पैरवी अंदर एक सप्ताह करें एंव सूची गवाहान पत्रावली पर दाखिल करें। तत्पश्चात् अभियुक्तगण के विरूद्ध सम्मन जारी हो।

विशेष न्यायाधीश, (एस.टी./एस.टी. एक्ट)
मेरठ।

This is uncertified copy for information/reference.

For authentic copy Please refer to certified copy only.